

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5112/2017

कविता

बनाम

मुकेश कुमार

आदेश दिनांक

06 अगस्त, 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री सुरेन्द्र कुड़ी अधिवक्ता- अपीलार्थिया की ओर से
श्री विपुल जैन अधिवक्ता- प्रत्यर्थी की ओर से

--

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थिया श्री सुरेन्द्र कुड़ी ने निवेदन किया है कि पक्षकारान् के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद है तथा अपीलार्थिया, प्रत्यर्थी के साथ निवास कर वैवाहिक सम्बन्धों को निभाने के लिए तैयार है। अतः दोनों पक्षों को बुलाकर मध्यस्थता से प्रकरण का निपटारा कर दिया जावे।

प्रत्यर्थी आज स्वयं उपस्थित है लेकिन अपीलार्थिया आज उपस्थित नहीं है।

इस तथ्य को देखते हुए कि पक्षकारान् के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद है, अतः दोनों पक्षों को बुलाकर मध्यस्थता से प्रकरण का निपटारा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली दिनांक 05.09.2018 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे। उक्त तिथि को पक्षकारान् व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

सत्यमेव जयते

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा)